



इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141— 2706577-78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in, Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



क्रमांक : एफ4(67)भण्डार/IGPRS/2013/ 9629-30

दिनांक: 14/3/24

निविदा सूचना

संस्थान में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ए.सी. प्लान्ट तथा ए.सी. के रखरखाव कार्य की रेट कॉन्ट्रैक्ट हेतु योग्य एवं अनुभवी संवेदकों से सीमित निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (राशि रूपये लाखों में) | निविदा फार्म शुल्क | निविदा अपलोड करने की तिथि | निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि | निविदा प्रपत्र शर्तों का विवरण की पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | ऑडिटोरियम के वातानुकूलन संयन्त्र का रखरखाव | 2.00 लाख | 500/- | 14.03.2024 | 21.03.2024 | 01 से 04 |
| 2. | ए.सी. रखरखाव कार्य | 2.00 लाख | 500/- | | | 05 से 09 |

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्यों हेतु निविदाएँ मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम लिखा हो, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3:00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र, कार्य का विवरण व शर्तें जिस कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत की जावे, उससे सम्बन्धित निविदा प्रपत्र व शर्तों का ही प्रिन्ट लेकर निविदा प्रस्तुत करें।

(रामधिका देवी)
अतिरिक्त निदेशक



प्रतिलिपि:-

- प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय बेवसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं SPPP Portal पर अपलोड करावे।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान।

उपनिदेशक (प्रशासन)


ऑडिटोरियम के वातानुकूलन संयन्त्र का रखरखाव कार्य की निविदा शर्तें व विवरण

- निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
- निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
- निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
- निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- निविदा दिनांक 21.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
- निविदा दिनांक 21.03.2024 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 3:00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 - यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो ते स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 - यदि भागीदारी का है—भागीदारी—डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 - यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टीकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 - फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- निविदादाता को मुख्य पैनल से केन्द्रीय एवं विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।
- निविदादाता को वातानुकूलन संयन्त्र (ऑडिटोरियम) के सम्पूर्ण विद्युत सप्लाई संयंत्रों, पाईप लाईन, कूलिंग टावर तथा इससे संबंधित सभी कार्य करने होंगे। इन सभी संयंत्रों की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा इनमें कोई पार्ट्स, गैस आदि लीकेज होने पर या कम होने पर फर्म को डालनी होगी जिसका अलग से कोई चार्ज देय नहीं होगा।


10. चूंकि संस्थान में कार्यक्रम एवं गतिविधियां अतिविशिष्ट एवं आवश्यक प्रकृति की है। अतः संयंत्र का वार्षिक रखरखाव व संचालन कम्पनी मैनूअल के अनुसार सजगता एवं तत्परता से करना होगा।
11. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
12. किसी सामान/कलपुर्जे को मरम्मत हेतु संस्थान के बाहर बिना प्रभारी अधिकारी की अनुमति के नहीं ले जायेगा।
13. संस्थान के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम व गतिविधियों के दौरान वातानुकूलन संयंत्र चालू रहने की स्थिति में निविदाकार का तकनीकी प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, ताकि संयंत्र में आये गतिरोध को तुरन्तु संभाल लिया जावे एवं संयंत्र चालू स्थिति में रखा जा सके।
14. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
16. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण—पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण—पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
17. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
18. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
19. कार्यादेश दिनांक से 03 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबंध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।
20. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑडिटोरियम पर्याप्त ठंडा रहे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। यदि ऑडिटोरियम में वातानुकूलन नहीं होता है तो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए दण्डस्वरूप रख—रखाव विपत्र राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटी जावेगी।
21. निविदादाता को वातानुकूलन संयंत्र के समस्त बिजली के पैनल उनमें लगे हुए इन्स्ट्रूमेंट के खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
22. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
23. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।


24. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण—पत्र/अनुभव प्रमाण—पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
25. कार्य की दरे जी—शिड्यूल में अंकित करनी होगी।
26. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
27. सफल निविदादाता को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 10000/- रूपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाइल नं०





पृष्ठ संख्या— 04
परिशिष्ट— (ब)



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)



जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in, Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | मात्रा | प्रस्तुत दर |
|---------|--|--------|-------------|
| 1. | वातानुकूलन संयंत्र का वार्षिक रखरखाव— 36 X 2 टी आर के 2 ए.सी. प्लांट | 01 | |
| 2. | वातानुकूलन के संचालन हेतु प्रति दिन/प्रति घण्टा प्रति व्यक्ति मानदेय | 01 | |
| योग | | | |

नोट :-

- उक्त दरों पर यदि लागू हो तो नियमानुसार GST सम्मिलित होगी।
- L-1 फर्म का निर्धारण कुल योग के न्यूनतम के आधार पर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाइल नंं

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

संस्थान में ए.सी. रखरखाव कार्य की निविदा शर्त व विवरण

- निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
- निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो।
- निविदा के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
- निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
- निविदा दिनांक 21.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करानी आवश्यक है।
- निविदा दिनांक 21.03.2024 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3:00 बजे खोली जायेगी।
- निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।
 - यदि फर्म एकल स्वामित्व की हो तो स्वामी का पूर्ण नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता।
 - यदि भागीदारी का है—भागीदारी—डीड, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते।
 - यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टीकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते।
 - फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा।
 - निविदादाता को मुख्य पैनल से केन्द्रीय एवं विद्युत व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी।

9. निविदादाता को संस्थान में लगे हुए सम्पूर्ण एसी. रखरखाव से संबंधित सभी कार्य करने होंगे।
10. यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
11. किसी सामान/कलपुर्जे को मरम्मत हेतु संस्थान के बाहर बिना प्रभारी अधिकारी की अनुमति के नहीं ले जायेगा, एवं पार्ट्स खराब होने पर संस्थान के प्रभारी अधिकारी की मौजूदगी में बदलने होंगे।
12. निविदादाता कार्य मिलने पर इसे अन्य निविदादाता/व्यक्ति/फर्म को उप बेचान नहीं करेगी। ऐसा करता हुआ पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जाकर धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा इसे कार्य अपूर्ण की स्थिति मानकर उसी अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।
13. किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा।
14. निविदा पर विचार उसी स्थिति में किया जावेगा जबकि निविदादाता, निविदा देने के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण—पत्र, यथा
 1. फर्म का रजिस्टर्ड प्रमाण—पत्र
 2. GST का पंजीयन प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
15. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
16. निविदादाता के कार्य की वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। जो कार्य संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त लौटाई जावेगी।
17. कार्यादेश दिनांक से 03 दिवस के अन्दर कार्य से संबंधित अनुबन्ध करना होगा, जिसके लिये समस्त व्यय निविदादाता के होंगे।
18. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
19. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जा सकेगी अन्य स्थान पर नहीं।

20. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण-पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करेंगे।
21. कार्य की दरे जी-शिड्यूल में अंकित करनी होगी।
22. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
23. सफल निविदादाता को 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा, तथा 10000/- रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।
24. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP Act 2012 एवं RTPP Rules 2013 जे समस्त नियम उक्त निविदा पर लागू होंगे।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्त मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाइल नं०



इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in, Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



दर प्रस्तुत करने का निविदा प्रपत्र

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | प्रस्तुत दरें प्रति नग |
|---------|-------------------------------|------------------------|
| 1. | स्पलिट ए.सी. की सर्विस | |
| 2. | विण्डो ए.सी. की सर्विस | |
| 3. | कैसिट ए.सी. की सर्विस | |
| 4. | स्पलिट ए.सी. में गैस भराई | |
| 5. | स्पलिट ए.सी. में हाफ गैस भराई | |
| 6. | विण्डो ए.सी. में गैस भराई | |
| 7. | कैसिट ए.सी. में गैस भराई | |
| 8. | कैसिट ए.सी. में हाफ गैस भराई | |
| 9. | ए.सी. कंडेन्शर | |
| 10. | ए.सी. मोटर नई | |
| 11. | ए.सी. मोटर रिवाइडिंग | |
| 12. | बुश साफ्ट | |
| 13. | कोन्टेक्टर | |
| 14. | कम्प्रेशर नया :- | |
| | 1.5 टन | |
| | 2.0 टन | |

| | | |
|-----|-------------------------|--|
| | 3.0 टन | |
| 15. | कम्प्रेशर रिपेयर :- | |
| | 1.5 टन | |
| | 2.0 टन | |
| | 3.0 टन | |
| 16. | सेसन्सर | |
| 17. | थरमोस्टेट | |
| 18. | स्टेपलाईजर नया | |
| 19. | स्टेपलाईजर रिपेयर | |
| 20. | Running Capiciter | |
| 21. | रिले | |
| 22. | PCB रिपेयर | |
| 23. | ए.सी. शिपिटिंग / फिटिंग | |
| 24. | कुलिंग कोएल रिपेयर | |
| 25. | कन्डेसर कोएल रिपेयर | |
| 26. | स्टेनर एण्ड कैपलरी | |
| 27. | आउट डोर फेन ब्लैड | |
| 28. | इन डोर फेन ब्लोवर | |
| 29. | आउट डोर स्टेंड | |
| 30. | कॉपर ट्यूब | |
| 31. | ए.सी. रिपेयर चार्ज | |
| योग | | |

नोट :-

1. उक्त दरों पर यदि लागू हो तो नियमानुसार GST सम्मिलित होगी।
2. L-1 फर्म का निर्धारण कुल योग के न्यूनतम के आधार पर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर
मय पूरा पता व मोबाइल नं०

